

मुख्य अभियंता का कार्यालय
सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक :- सीमांचल-आउटलेट-03-25/2021

दिनांक :-

प्रेषक,

— 120 (म)

21/4/22

मुख्य अभियंता,
सीमांचल उपभाग,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में

अधीक्षक अभियंता,
पथ निर्माण विभाग,
पथ अंचल, पूर्णियाँ।

विषय:-

पथ प्रमंडल पूर्णियाँ अन्तर्गत मौजा अख्तियारपुर, थाना-सरसी, थाना सं०-102, प्लॉट सं०-466 एवं 469, खाता सं०-560, क्षेत्र-1225 sq mtr (लगभग), जिला-पूर्णियाँ में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (वि०प्र०) बरौनी, बेगूसराय में रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में।

प्रसंग :-

कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल पूर्णियाँ का पत्रांक-30 (अनु०) दिनांक 06.01.2022

महाशय,

उपरोक्त विषयक उपभागीय पत्रांक-441, दिनांक 07.04.2021 के आलोक में प्रासंगिक पत्र से सूचित किया गया है कि विषयांकित नया रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु आवेदक द्वारा कुल विभागीय शुल्क ₹ 3,01,722.00 (रुपये तीन लाख एक हजार सात सौ बाईस) मात्र की राशि Treasury Challan के माध्यम से जमा करा दिया गया है। अतः उक्त के आलोक में विषयाधीन रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु पथ निर्माण विभाग की भूमि को पहुँच पथ के रूप में विकसित कर व्यवहार हेतु 5 (पाँच) वर्षों के लिये अनापत्ति प्रमाण पत्र विभागीय निदेश (पत्रांक-4770(E) दिनांक 24.08.2017 एवं विभागीय संकल्प ज्ञापांक-1921(S) दिनांक 08.03.2018) के आलोक में निम्न शर्तों पर प्रदान की जाती है :-

1. कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल पूर्णियाँ के द्वारा विभागीय संकल्प ज्ञापांक-1921(S) दिनांक 08.03.2018 के आलोक में 5% की दर से वर्ष 2022 हेतु बढ़ोतरी की अवशेष राशि ₹14,586/- (चौदह हजार पाँच सौ छियासी रुपये) मात्र जमा कराने के पश्चात ही अपने स्तर से आवेदक को अनापत्ति पत्र निर्गत की जाय।
2. भविष्य में यदि आवेदक द्वारा प्रस्तावित स्थल के संबंध में दी गयी सूचनाओं में कोई त्रुटि पायी जाती है, तो यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
3. पेट्रोल पम्प के अनुमोदित नक्शा की एक प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु मूल में लौटाई जाती है।
4. प्रत्येक 5 वर्ष के बाद रिटेल आउटलेट का नवीकरण कराना अनिवार्य होगा।
5. विभागीय पत्रांक 4770 (ई०) दिनांक 24.08.2017 के कंडिका-6 का अनुपालन दृढ़ता से सुनिश्चित किया जाय।

अनु०:-मूल नक्शा की एक प्रति।

विश्वासभाजन

मुख्य अभियंता,
सीमांचल उपभाग,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।